AC(AH)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938
No. 114] NEW DELHI, FRIDAY FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 140(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशुपालन अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम 2007 को जहां तक उनका संबंध सहायक आयुक्त– (पशुपालन) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, में सहायक आयुक्त (पशुपालन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग सहायक आयुक्त (पशुपालन) समूह 'क' पद भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तभं (4) से विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.–भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताए और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.–वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या